राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

कमांकः डीसी/विधि/2014/23 दिनांक :– 07-02-14

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :–प्रकरण संख्या 389/2011 सरकार बनाम नेशनल मेडिकल व अन्य मे पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, भीलवाडा ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 03.01.2014 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई–मेल भी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (9)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

A 155

958
डी.न. कार्यवाही

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , संख्या - 1 , भीलवाड़ा ।

पीठासीन अधिकारी - चन्द्र प्रकाश सिंह , राज० न्या० से०

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या - 389 / 2011 , (22 / 90)

सरकार जरिये के०जयवन्त औषधि निरीक्षक , भीलवाड़ा

वनाम

प्रति हस्ताक्षर
16 JAN 2014
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि विभाग
जिला एवं सेशन न्यायालय

(1) मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर , भीलवाड़ा - अभियुक्त फर्म - 1

(2) श्री गुलाम नबी रिजवी पुत्र श्री जमालुद्दीन रिजवी , जाति - छीपा , प्रोपराईटर एवं योग्य व्यक्ति , मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर , भीलवाड़ा - अभियुक्त – 2

(3) मेसर्स एसोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड , दूनी हाऊस , फिल्म कालोनी , जयपुर - अभियुक्त फर्म - 3

(4) श्री बालकिशन सहगल पुत्र श्री ईश्वर दास सहगल , जाति- हिन्दू , उम्र – 58 वर्ष , निवासी - सी - 32 , राजा पार्क , आदर्शनगर , जयपुर डायरेक्टर एवं कम्पीटेंट व्यक्ति मेसर्स एसोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड , दूनी हाऊस , फिल्म कालोनी , ग्राउण्ड फ्लोर जयपुर - अभियुक्त - 4

(5) श्रीमती सलेश सहगल पत्नि श्री सुशील सहगल , आयु - 30 वर्ष , निवासी - सी - 32 , राजा पार्क , आदर्शनगर , डायरेक्टर मेसर्स एसोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड , दूनी हाऊस , फिल्म कालोनी , ग्राउण्ड फ्लोर जयपुर - अभियुक्त – 5

(6) श्री अनिल सहगल पुत्र श्री बालकिशन सहगल , आयु - 31 वर्ष , निवासी - सी - 32 , राजा पार्क , आदर्शनगर , डायरेक्टर मेसर्स एसोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड , दूनी हाऊस , फिल्म कालोनी , ग्राउण्ड फ्लोर जयपुर - अभियुक्त – 6

(7) श्री सुशील सहगल पुत्र श्री बालकिशन सहगल , आयु - 33 वर्ष , निवासी - सी - 32 , राजा पार्क , आदर्शनगर , डायरेक्टर मेसर्स एसोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड , दूनी हाऊस , फिल्म कालोनी , ग्राउण्ड फ्लोर जयपुर - अभियुक्त – 7

(8) श्रीमती निर्मला देवी सहगल पत्नि श्री बालकिशन सहगल , आयु - 32 वर्ष , निवासी - सी - 32 , राजा पार्क , आदर्शनगर , डायरेक्टर मेसर्स एसोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड , दूनी हाऊस , फिल्म कालोनी , ग्राउण्ड फ्लोर जयपुर (मृत्यु उपशमन दिनांक 20 – 12 – 2013) - अभियुक्त – 8

(9) मेसर्स अमर उद्योग , 28 लोहार चाल , पोस्ट बाक्स नं० 16460 , माहिम , बम्बई – 400016 - अभियुक्त फर्म – 9

(10) श्री मिश्रीमल तेजमल जैन , निवासी - 28 लोहार चाल , माहिम , बम्बई –16 , पार्टनर एवं कम्पीटेंट व्यक्ति मेसर्स अमर उद्योग , 28 लोहार चाल , माहिम , बम्बई – 400016 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 10

(11) श्रीमती कमला रमणिक लाल पांडिया , निवासी - 74 , ई०वी०के० सम्पत रोड , वेपेरी मद्रास 600007 पार्टनर मेसर्स अमर उद्योग , 28 लोहार चाल , माहिम , बम्बई – 400016 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 11

(12) श्रीमती कंचन ललितराज पांडिया , निवासी - 74 , ई०वी०के० सम्पत रोड , वेपेरी मद्रास 600007 पार्टनर मेसर्स अमर उद्योग , 28 लोहार चाल , माहिम , बम्बई – 400016 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 12

(13) मेसर्स युनाईटेड फार्मा (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड , 18 कोटकर इन्डस्ट्रियल एस्टेड , गोरेगाँव (ईस्ट) बम्बई – 63 जरिये जयन्तिलाल मिश्रीलाल जैन , डायरेक्टर 28 लोहार चाल , माहिम , बम्बई – 400016 - अभियुक्त फर्म – 13

(14) श्री जयन्तिलाल मिश्रीलाल जैन , डायरेक्टर मेसर्स युनाईटेड फार्मा (इन्डिया) प्राईवेट

फोटो स्टेट कॉपी
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 भीलवाड़ा

23-1-14
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

लिमिटेड , निवासी - 28 लोहार चाल , माहिम , बम्बई – 400016 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 14

(15) श्री शेषमल शोभा चन्द्र पांडिया , डायरेक्टर मेसर्स युनाईटेड फार्मा (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड , निवासी - 131 मिंट स्ट्रीट , मद्रास – 3 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 15

(16) श्री ललित राज शोभा चन्द्र पांडिया , डायरेक्टर मेसर्स युनाईटेड फार्मा (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड , निवासी - 131 मिंट स्ट्रीट , मद्रास – 3 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 16

(17) श्री हेमन्त कुमार ललित राज पांडिया , डायरेक्टर मेसर्स युनाईटेड फार्मा (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड , निवासी - रेडलास रोड , वेपेरी , मद्रास – 7 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 17

(18) वाई०एन०राव , निवासी ए – 5 , दिपाश्री सहार रोड , विले पार्ले (इ) बम्बई – 99 , मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट , मेसर्स युनाईटेड फार्मा (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड , माहिम , बम्बई – 16 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 18

(19) श्री वाई०जी०पाटिल , एनालिटिकल केमिस्ट , मेसर्स युनाईटेड फार्मा (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड , माहिम , बम्बई – 16 (मफरुर दिनांक 23 – 03 – 2010) - अभियुक्त – 19

अभियोग अन्तर्गत - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 की धारा 16 (1) (a) , 17 – A (a) , 17 – A (f) , 17 – B (d) , 18 (a) (I) , 18 (a) (I) , 18 – A , 22 (I) (cca)

दण्डनीय धारायें - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 की धारा 27 (b) , 27 (c) , 27 (d) , 28 – A व 22 (3)

उपस्थित -

(1) सुश्री शोभा रानी , सहायक लोक अभियोजक सरकार की ओर से ।

(2) श्री शिव सिंह चारण , अधिवक्ता अभियुक्तगण क्रम संख्या 1, 2 , की ओर से ।

(3) श्री सत्यनारायण चण्डक , अधिवक्ता अभियुक्तगण क्रम संख्या 3 लगायत 7 की ओर से

- निर्णय - दिनांक 03 – 01 – 2014

(1) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 15 – 02 – 1990 को परिवादी औषधि निरीक्षक , भीलवाड़ा , के०जयवन्त ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , भीलवाड़ा में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 की उपरोक्त धाराओं के PFA 7 16 45 अन्तर्गत एक परिवाद उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध पेश किया जो दिनांक 08 – 07 – 11 को अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार परिवादी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 (जिसे तत्पश्चात् अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 21 के अन्तर्गत समस्त राजस्थान राज्य के लिए विधिवत नियुक्त "निरीक्षक" है जिसकी अधिसूचना राजस्थान राज – पत्र में 18 सितम्बर , 1980 को प्रकाशित हो चुकी है तथा अधिनियम की धारा 32 के तहत न्यायालय में अभियोग लाने के लिए प्राधिकृत है । दिनांक 04 – 06 – 85 को अभियोगी ने अभियुक्त फर्म – 1 का निरीक्षण किया । निरीक्षण के समय " नाईट्रोप्युराझोन क्रीम एन०एफ० " बैच संख्या एन०सी - 2 , निर्माण तिथि सितम्बर , 84 अवधिपार तिथि सितम्बर 86 जो कि अभियुक्त फर्म – 13 द्वारा निर्मित थी का नमूना चार भागों में बांटकर जाँच हेतु लिया । अभियोगी ने फार्म नं० 17 पर नमूना लेने की सूचना दी । नमूने को खरीदने का क्रय बिल बिल संख्या 1230 दिनांक 04 – 06 – 85 रुपये 49.00 प्राप्त किया । नमूने को सील बन्द कर नमूने का एक भाग अभियुक्त – 2 को दिया । बिल का भुगतान

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

रसीद दिनांक 25 – 04 – 86 से किया । अभियोगी ने मेमोरेण्डम संख्या 36 / 85 दिनांक 17 – 06 – 85 द्वारा नमूने के एक भाग को जाँच / विश्लेषण हेतु राजकीय विश्लेषक सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री , 3 काईड स्ट्रीट , कलकत्ता को फार्म नं० 18 में विवरण दर्ज कर रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल भेजा । फार्म नं० 18 की एक कापी अलग से रजिस्टर्ड डाक द्वारा राजकीय विश्लेषक , सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री , कलकत्ता भेजी । राजकीय विश्लेषक , सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री , कलकत्ता की विश्लेषक रिपोर्ट संख्या 27 – 2 / 86 – पी एण्ड पी / आर जे / 2845 दिनांक 21 – 07 – 86 द्वारा नमूने को अवमानक कोटि का घोषित किया । नमूने के विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति अभियोगी ने दिनांक 04 – 08 – 86 को अधिनियम की धारा 25 (2) के अनुसार अभियुक्त – 2 को भेजी एवं खरीद तथा वितरण की सूचना माँगी तथा अवमानक कोटि की औषधि का वितरण बन्द कर अधिनियम की धारा 18 (a) (i) का उल्लंघन करने का स्पष्टीकरण माँगा । अभियुक्त – 2 ने अपने पत्र दिनांक 06 – 08 – 86 द्वारा उक्त औषधि को अभियुक्त फर्म – 3 से बिल संख्या 3127 दिनांक 01 – 05 – 85 से खरीदना सूचित किया । अभियोगी ने रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल व पत्र दिनांक 22 – 09 – 86 से अभियुक्त फर्म – 3 को नमूने का एक भाग व विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति धारा 25 (2) व 23 (4) (iii) के अनुसार भेजकर उक्त औषधि की खरीद व वितरण की सूचना मांगी । बेचे हुए माल को वापस मंगवाने हेतु लिखा । अभियुक्त फर्म – 3 ने अपने पत्र दिनांक 30 – 09 – 86 से अभियोगी को उक्त औषधि को अभियुक्त फर्म – 9 से खरीदना सूचित किया । अभियोगी ने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 22 – 07 – 88 द्वारा अभियुक्त फर्म – 9 से उक्त औषधि के खरीद , वितरण की सूचना मांगी एवं बेचे हुए माल को वापस मंगवाने हेतु लिखा । इस पत्र का जबाब न आने पर पुनः रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दिनांक 30 – 09 – 88 से अभियुक्त फर्म – 9 को धारा 18 – A के तहत औषधि को क्रय करने की सूचना एवं धारा 22 (1) (cca) के तहत औषधि के क्रय – बिल , विक्रय – वितरण व स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत करने हेतु लिखा । परन्तु अभियुक्त फर्म – 9 से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ । अभियोगी को औषधि नियन्त्रक एवं निदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (प०क०) राजस्थान , जयपुर (जिन्हें तत्पश्चात् औषधि नियन्त्रक कहा जायेगा) ने पत्र दिनांक 09 – 05 – 89 द्वारा अभियुक्त फर्म – 13 का संविधान भेजकर ड्राफ्ट कंपलेंट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा । अभियोगी ने तार दिनांक 03 – 06 – 89 द्वारा कमिश्नर फूड एवं ड्रग , बम्बई को अभियुक्त फर्म – 13 के मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट व अनालिटिकल केमिस्ट के नाम व पूर्ण पते की जानकारी मांगी । जोईन्ट कमिश्नर (हेडक्वाटर) फूड एण्ड ड्रग्स ऐडिमिनिस्ट्रेशन , महाराष्ट्र राज्य बम्बई ने अपने पत्र दिनांक 21 – 07 – 89 से अभियुक्त फर्म – 9 के भागीदार व कंपीटेंन्ट व्यक्ति की जानकारी तथा अभियुक्त फर्म – 13 के मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट व अनालिटिकल केमिस्ट की दी । अभियोगी ने तार दिनांक 03 – 06 – 89 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जयपुर से अभियुक्त फर्म – 3 के विधान व कम्पीटेन्ट व्यक्ति के नाम व पूर्ण पते की जानकारी मांगी । औषधि अनुज्ञा पत्र अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 28 – 07 – 89 द्वारा अभियुक्त फर्म – 3 के विधान व कम्पीटेन्ट व्यक्ति के नाम व पूर्ण पते की जानकारी दी । अभियोगी ने पत्र दिनांक 05 – 06 – 89 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , भीलवाड़ा से अभियुक्त फर्म – 1 के विधान व योग्य व्यक्ति के नाम व पते की जानकारी मांगी । औषधि अनुज्ञापन अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 21 – 08 – 89 द्वारा अभियुक्त फर्म – 1 के विधान व योगय व्यक्ति के नाम व पूर्ण पते की जानकारी दी । अभियोगी ने दिनांक 25 – 08 – 89 को ड्राफ्ट कंपलेटन्ट औषधि नियन्त्रक भेजी । औषधि नियन्त्रक ने आदेश दिनांक 27 – 12 – 89 द्वारा अभियोगी को अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की । उक्त तथ्यों के आधार पर यह निवेदन है कि अभियुक्त 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19

टो. स्टेट कॉपी
मुख्य प्रति अधिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

तथा अभियुक्त फर्म – 13 ने धारा 16 (1) (a) के अनुसार अवमानक (Not of standard Quality) औषधि " नाइट्रोफ्यूराझोन क्रीम एन०एफ० " बैच संख्या एन०सी० – 2 जिसमें 47% अन्य घटक मिले होने के फलस्वरुप धारा 17 – A (a) , 17 – A (f) के तहत अपमिश्रित (Adulterated) तथा धारा 17 B (d) के तहत नकली (Spurious) औषधि का निर्माण , विक्रय , संग्रह एवं वितरण किया जो कि धारा 18 (a) (i) का उल्लंघन है तथा धारा 27 (b) , 27 (c) एवं 27 (d) के तहत दण्डनीय है । अभियुक्त 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 एवं अभियुक्त फर्म – 1 , 3 , 9 ने धारा 16 (1) (a) के तहत अवमानक (Not of standard quality) औषधि " नाइट्रोफ्यूराझोन क्रीम एन०एफ०" बैच संख्या एन०सी० – 2 जिसमें 47% अन्य घटक मिले होने के फलस्वरुप धारा 17 – A (a) , 17 – A (f) के तहत अपमिश्रित (Adulterated) तथा धारा 17 B (d) के तहत नकली (Spurious) औषधि का विक्रय , संग्रह एवं वितरण किया जो कि धारा 18 (a) (i) का उल्लंघन है तथा धारा 27 (b) , 27 (c) एवं 27 (d) के तहत दण्डनीय है । अभियुक्त फर्म – 9 ने धारा 18 – A एवं धारा 22 (1) (cca) के तहत मांगे गये दस्तावेज़ व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जो कि धारा 28 – A एवं 22 (3) के तहत दण्डनीय है । अतः अभियुक्तों को उचित दण्ड से दण्डित किया जावे इत्यादि पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । दिनांक 23 – 03 – 2010 को अभियुक्तगण मिश्रीलाल , कमला , कंचन , ललितराज , जयन्तीलाल , शेषमल , हेमन्त कुमार , वाई०एन०राव और वाई०जी०पाटिल को इस प्रकरण में मफरुर घोषित किया गया जबकि अभियुक्ता निर्मला की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाही का दिनांक 20 – 12 – 2013 को उपशमन किया गया । अतः आज का यह निर्णय केवल अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन के समबन्ध में दिया जा रहा है ।

(2) आरोप पूर्व साक्ष्य का अवलोकन किया जाकर बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 (b) , 27 (c) , 27 (d) , 28 – A , 22 (3) का आरोप दिनांक 22 – 08 – 2013 को पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही ।

(3) अभियोजन साक्ष्य में पी०डब्ल्यू० 1 के०जयवन्त , पी०डब्ल्यू० 2 राधेश्याम , पी०डब्ल्यू० 3 बनवारीलाल , पी०डब्ल्यू० 4 के०जयवन्त और पी०डब्ल्यू० 5 सीताराम को परीक्षित कराया गया तथा प्रदर्श पी० 1 से लगाये प्रदर्श पी० 41 तक के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया जिनका यथास्थान उल्लेख किया जायेगा ।

(4) अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन के बयान अन्तर्गत धारा 313 जा०फौ० में लिपिबद्ध किये गये तो उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत कहा तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा ।

(5) बहस अन्तिम सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अब न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है -

(1) आया दिनांक 04 – 06 – 1985 को दिन के किसी समय में मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर , भीलवाड़ा में औषधि निरीक्षक , भीलवाड़ा के०जयवन्त द्वारा निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन ने उक्त दुकान में औषधि " नाइट्रोफ्युराझोन क्रीम एन०एफ० " बैच संख्या एन०सी० – 2 निर्माण तिथि सितम्बर , 84 अवधिपार तिथि सितम्बर , 86 जो कि फर्म मेसर्स यूनाइटेड फार्मा (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड , 18 , कोटकर इन्डस्ट्रियल एस्टेट , गोरेगाँव (इस्ट) बम्बई

फोटो स्टेट कॉपी
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

– 63 द्वारा निर्मित थी को विक्रय के लिए रख रखा था जिसका औषधि निरीक्षक ने नियमानुसार सैंपल क्रय कर जाँच के लिए भिजवाया और जाँच रिपोर्ट में उक्त औषधि अवमानक कोटि की पाई जाने से अभियुक्तगणं गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन ने उक्त दुकान में अवमानक कोटि की औषधि का संग्रहण , वितरण एवं प्रदर्शन कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 ए (1) का उल्लंघन कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (b) , 27 (c) एवं 27 (d) , 28 – A , 22 (3) के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ? (2) आया कोई अपराध साबित हुआ तो उचित दण्ड क्या होगा ?

बिन्दु संख्या - 1

(6) परिवादी औषधि निरीक्षक , भीलवाड़ा के०जयवन्त पी०डब्ल्यू० 1 के रुप में परीक्षित कराया गया है । इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों की यथावत पुष्टि करते हुए यह कथन किया है कि मैं दिनांक 04 – 06 – 85 को भीलवाड़ा मुख्यालय पर औषधि निरीक्षक के पद पर तैनात था । मेरा नोटिफिकेशन जरिये प्रदर्श पी० 1 जारी किया जा चुका है जिसकी नकल प्रदर्श पी० 1A है । मैंने दिनांक 04 – 06 – 85 को मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर हास्पिटल रोड भीलवाड़ा का निरीक्षण फर्म के मालिक गुलाम नबी की उपस्थिति में किया था । निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी० 2 है । निरीक्षण के समय मैंने एक औषधि नाइट्रोफ्युराझोन क्रीम एन०एफ० बैच संख्या एन०सी० 2 निर्माण तिथि सितम्बर , 84 अवधिपार तिथि सितम्बर , 86 का नमूना नियमानुसार जाँच हेतु लिया था जिस औषधि को मेसर्स यूनाइटेड फार्मा (इन्डिया प्रा०लि०) 18 कोटकर इन्डस्ट्रियल एस्टेट गोरेगाँव ईस्ट (बम्बई) द्वारा बनाया गया था । निरीक्षण रिपोर्ट पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी गुलाम नबी के हस्ताक्षर है । नमूना लेने हेतु 4 x 12 x 10 ग्राम की ट्यूब को चार बराबर भागों में बाँटकर सीलबन्द किया था । नमूना लेने की सूचना फार्म नम्बर 17 में गुलाम नबी को दी थी जो प्रदर्श पी० 3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी गुलाम नबी के हस्ताक्षर हैं । नमूने का एक भाग गुलाम नबी को दिया था तथा फार्म 17 की एक कापी गुलाम नबी को दी थी । नमूने का भुगतान करने हेतु उधार बिल संख्या 1230 दिनांक 04 – 06 – 85 राशि रुपये 49/- का प्राप्त किया था । वह रसीद प्रदर्श पी० 4 है । नमूने का भुगतान गुलाम नबी को जरिये प्रदर्श पी० 5 से किया जिस पर ए से बी गुलाम नबी के हस्ताक्षर हैं । नमूने का एक भाग मैंने सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री 3 काइड स्ट्रीट कलकत्ता - 16 को भिजवाया । नमूना भेजने हेतु नमूने को पैकेट में डालकर उसके साथ फार्म नम्बर 18 की प्रति भी भिजवाई थी जो प्रदर्श पी० 6 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा X स्थान पर नमूना सील है । प्रपत्र 18 की एक प्रति अलग से रजिस्टर्ड डाक से सेन्ट्रल ड्रग लेबोस्ट्री को भिजवाई थी । नमूना भेजने की पोस्टल रसीद प्रदर्श पी० 7 है तथा प्रपत्र 18 को अलग से भेजने की रजिस्ट्री की रसीद प्रदर्श पी० 8 है । उक्त औषधि की जाँच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई थी जिसका कवरिंग लेटर प्रदर्श पी० 9 है जिस पर ए से बी मेरी प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं । इस पत्र के साथ प्राप्त जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी० 10 है जिस पर ए से बी मेरी प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं । राजकीय विश्लेषक ने उक्त औषधि को अवमानक कोटि का पाया था क्योंकि उसमें मूल घटक मात्र 53 % थे । मैंने जाँच रिपोर्ट की एक प्रति गुलाम नबी को भिजवाई थी । रिपोर्ट भेजने का पत्र प्रदर्श पी० 11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने गुलाम नबी से उक्त अवमानक औषधि के क्रय की रसीद , बचे हुए स्टाक सम्बन्धी सूचना इत्यादि जानकारी मांगी थी । नेशनल मेडिकल स्टोर ने जरिये प्रदर्श पी० 12 मुझे उक्त औषधि को मेसर्स एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्रा०लि० जयपुर से बिल संख्या 3127 दिनांक 01 – 05 – 85 से खरीदना अवगत कराया था । पत्र के साथ एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स के बिल की प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी० 13 है जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं । मैंने जरिये प्रदर्श पी० 14

फोटो स्टेट कॉपी
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

मेसर्स एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स फिल्म कालोनी , जयपुर को नमूने का एक भाग तथा रिपोर्ट की एक प्रति भिजवाई थी जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स से क्रय रसीदें , बचे हुए स्टाक की सूचना इत्यादि विवरण मांगा था । उक्त पत्र भेजने की पोस्टल रसीद प्रदर्श पी० 15 है । एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स ने जरिये प्रदर्श पी० 16 मुझे औषधि के खरीद व स्टाक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई थी जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं । एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स द्वारा उपलब्ध कराई हुई विक्रय विवरण प्रदर्श पी० 17 है जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं । एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स ने उक्त औषधि को मेसर्स अमर उद्योग बम्बई से खरीदा था । बिल की प्रति प्रदर्श पी० 18 है जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं । मैंने अमर उद्योग बम्बई को जरिये प्रदर्श पी० 19 उक्त औषधि के अवमानक होने की सूचना देते हुए क्रय रसीदें , विक्रय विवरण इत्यादि जानकारी भेजने हेतु लिखा । पत्र पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । पत्र भेजने की पोस्टल रसीद प्रदर्श पी० 20 है । मैंने अमर उद्योग को स्मरण पत्र जारी किया था जो प्रदर्श पी० 21 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । पत्र भेजने की पोस्टल रसीद प्रदर्श पी० 22 है । मुझे निदेशालय , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से प्रकरण में ड्राफ्ट कम्पलेंट भेजने के निर्देश प्राप्त हुए जो प्रदर्श पी० 23 है जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं तथा सी से पी०एन० सारस्वत के हस्ताक्षर हैं जिसे मैं पहचानता हूँ । पत्र के साथ यूनाइटेड फार्मा इन्डिया (प्रा०लि०) के विधान की प्रति प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी० 24 तथा प्रदर्श पी० 25 है । मैंने कमिश्नर फूड एण्ड ड्रग्स बम्बई को मेसर्स यूनाइटेड फार्मा तथा अमर उद्योग के जिम्मेदार व्यक्तियों की सूचना भेजने हेतु तार दिया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । जोइन्ट कमिश्नर फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बम्बई ने मुझे जिम्मेदार व्यक्तियों की सूचना भिजवाई थी जो प्रदर्श पी० 27 और प्रदर्श पी० 28 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर को तार से मेसर्स एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्रा०लि० से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु लिखा था जो प्रदर्श पी० 29 है जिस पर ए से बी मेरे इस्ताक्षर है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर ने मुझे एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स के दस्तावेज उपलब्ध कराये थे जो प्रदर्श पी० 30 से प्रदर्श पी० 35 तक हैं जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर है । मैंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर से सम्बन्धित दस्तावेज भेजने हेतु पत्र लिखा जो प्रदर्श पी० 36 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है । मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त हुई जो प्रदर्श पी० 37 है जिस पर ए से बी मेरे प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी डा०एन०एम०सिंघवी के हस्ताक्षर हैं । मैंने औषधि नियन्त्रक एवं निदेशक को जरिये प्रदर्श पी० 38 रिवाइज्ड ड्राफ्ट कम्पलेंट भिजवाई जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है । भेजने की पोस्टल रसीद प्रदर्श पी० 39 है । मुझे प्रकरण में न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई जो प्रदर्श पी० 40 है जिस पर सी से डी डा०ए०क्यू०खान के हस्ताक्षर है जिसको मैं पहचानता हूँ । मैंने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जो प्रदर्श पी० 41 है । यह गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में भी पूर्ण रुप से स्थिर रहा है और मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों से जरा भी विचलित नहीं हुआ है । पी०डब्ल्यू० 2 राधेश्याम अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि डा०एन०एम०सिंघवी ने प्रदर्श पी० 37 से मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर के विधान की जानकारी औषधि निरीक्षक , भीलवाड़ा को उपलब्ध करवाई थी जिस पर सी से डी डा०एन०एम०सिंघवी के हस्ताक्षर है जिसको वह पहचानता है । प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि डा०एन०एम०सिंघवी वर्तमान में जीवित है । पी०डब्ल्यू० 3 बनवारीलाल अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि दिनांक 28 – 07 – 89 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जयपुर डा०आर०एस०गौड़ ने औषधि निरीक्षक , भीलवाड़ा के नाम एक पत्र प्रदर्श पी० 30 तैयार करवाया था जिसके द्वारा मेसर्स एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्रा०लि०

फोटो स्टेट कॉपी
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1
भीलवाड़ा (राज.)

जयपुर के विधान सम्बन्धी जानकारी प्रदर्श पी० 31 से प्रदर्श पी० 35 भिजवाई थी। प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि प्रदर्श पी० 30 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। पी०डब्ल्यू० 4 के०जयवन्त अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि इस प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही करने की अनुमति प्रदर्श पी० 40 जारी की गई जिस पर सी से डी डा०ए०क्यू०खान के हस्ताक्षर है जिसको मैं पहचानता हूँ। प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि मैंने ए०क्यू०खान के साथ कभी भी काम नहीं किया। पी०डब्ल्यू० 5 सीताराम अपने परीक्षण में यूनाइटेड फार्मा इन्डिया प्रा०लि० बम्बई के योग्य व्यक्तियों की सूचना भिजवाने का कथन करता है। अभियोजन पक्ष की उक्त साक्ष्य के खण्डन में अभियुक्तगण की ओर से कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है।

(7) अतः हमको पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य पर ही विचार करना है। दस्तावेज प्रदर्श पी० 1A के अवलोकन से यह साबित होता है कि पी०डब्ल्यू० 1 के०जयवन्त दिनांक 04 – 06 – 1985 को औषधि निरीक्षक के रुप में अभियुक्त क्रम 1 मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर, भीलवाड़ा पर औषधियों के निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी था। पी०डब्ल्यू० 1 के०जयवन्त के सशपथ कथनों तथा दस्तावेज प्रदर्श पी० 2, पी० 3, पी० 4 और पी० 5 के अवलोकन से औषधि निरीक्षक के०जयवन्त द्वारा दिनांक 04 – 06 – 1985 को मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर, भीलवाड़ा से अभियुक्त गुलाम नबी की उपस्थिति में औषधि नाइट्रोफ्यूराझोन क्रीम एन०एफ० बैच नं० एन०सी० – 2 का नियमानुसार सैंपल लिया जाना साबित होता है। पी०डब्ल्यू० 1 के०जयवन्त के कथनों तथा दस्तावेज प्रदर्श पी० 6, पी० 7, पी० 8 और पी० 9 के अवलोकन से औषधि निरीक्षक के०जयवन्त द्वारा उक्त सैंपल को नियमानुसार जाँच के लिए सेन्ट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री, 3 काइड स्ट्रीट, कलकत्ता जाँच के लिए भिजवाना साबित होता है। जाँच रिपोर्ट प्रदर्श पी० 10 के अवलोकन से सैंपल का अवमानक कोटि का घोषित किया जाना साबित होता है। पी०डब्ल्यू० 1 के०जयवन्त के कथनों तथा दस्तावेज प्रदर्श पी० 11 से लगाये प्रदर्श पी० 18 तक के अवलोकन से औषधि निरीक्षक के०जयवन्त द्वारा नियमानुसार अभियुक्तगण मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर, भीलवाड़ा तथा मेसर्स एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्रा०लि०, फिल्म कालोनी, जयपुर को औषधि के अवमानक कोटि के घोषित किये जाने की सूचना भेजा जाना साबित होता है। साथ ही साथ यह भी साबित होता है कि मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर, भीलवाड़ा ने उक्त औषधि को मेसर्स एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्रा०लि०, फिल्म कालोनी, जयपुर से क्रय किया था। पी०डब्ल्यू० 1 के०जयवन्त, पी०डब्ल्यू० 2 राधेश्याम के कथनों तथा दस्तावेज प्रदर्श पी० 37 के अवलोकन से मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर, भीलवाड़ा का मालिक अभियुक्त गुलाम नबी साबित होता है। पी०डब्ल्यू० 1 के०जयवन्त, पी०डब्ल्यू० 3 बनवारीलाल के कथनों तथा दस्तावेज प्रदर्श पी० 30 से लगाये प्रदर्श पी० 35 तक के अवलोकन से मेसर्स एशोसियेट फार्मा ट्रेडर्स प्रा०लि०, जयपुर के भागीदार अभियुक्तगण बालकिशन, सलेश, अनिल और सुशील होते है। पी०डब्ल्यू० 1 और 4 के०जयवन्त के कथनों तथा दस्तावेज प्रदर्श पी० 40 के अवलोकन से डा०ए०क्यू०खान द्वारा इस प्रकरण के अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति जारी किया जाना साबित होता है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में हमारे समक्ष अभियोजन पक्ष की जो साक्ष्य मौजूद है उससे स्पष्ट रुप से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि दिनांक 04 – 06 – 1985 को दिन के किसी समय में मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर, भीलवाड़ा में औषधि निरीक्षक, भीलवाड़ा के०जयवन्त द्वारा निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि अभियुक्तगण गुलाम नबी, सलेश, अनिल, सुशील और बालकिशन ने उक्त दुकान में औषधि " नाइट्रोफ्युराझोन क्रीम एन०एफ० " बैच संख्या एन०सी० – 2 निर्माण तिथि सितम्बर, 84 अवधिपार तिथि सितम्बर, 86 जो कि फर्म मेसर्स यूनाइटेड फार्मा (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, 18, कोटकर

फोटो स्टेट कॉपी
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

इन्डस्ट्रियल एस्टेट , गोरेगाँव (इस्ट) बम्बई – 63 द्वारा निर्मित थी को विक्रय के लिए रख रखा था जिसका औषधि निरीक्षक ने नियमानुसार सैंपल क्रय कर जाँच के लिए भिजवाया और जाँच रिपोर्ट में उक्त औषधि अवमानक कोटि की पाई जाने से अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन ने उक्त दुकान में अवमानक कोटि की औषधि का संग्रहण , वितरण एवं प्रदर्शन कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 (b) , 27 (c) और 27 (d) में वर्णित अपराध कारित किया है ।

(8) यहाँ पर **विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की मुख्य रुप से यह दलील रही है प्रकरण की औषधि नाइट्रोफ्यूराझोन क्रीम एन०एफ० का निर्माता मेसर्स यूनाइटेड फार्मा (इन्डिया) प्रा०लि०, बम्बई है जिसके अवमानक घोषित पर वही फर्म जिम्मेदार है** । उक्त औषधि के अवमानक कोटि की घोषित होने पर अभियुक्तगण गुलाम नबी , बालकिशन , सलेश , अनिल और सुशील को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने तो उक्त औषधि को मेसर्स यूनाइटेड फार्मा (इन्डिया) प्रा०लि० , बम्बई से मात्र क्रय किया था । जिस पर मैंने विचार किया । औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवमानक कोटि की औषधियों का संग्रहण , वितरण एवं प्रदर्शन करना भी अपराध है और इस प्रकरण में अभियुक्तगण गुलाम नबी , बालकिशन , सलेश , अनिल और सुशील द्वारा प्रकरण की अवमानक कोटि की औषधि का संग्रहण , वितरण एवं प्रदर्शन किया गया है । ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की अगली दलील यह है कि इस प्रकरण में औषधि निरीक्षक के०जयवन्त द्वारा द०प्र०सं० की धारा 100 (4) के प्रावधानों की पालना किये बिना निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी० 2 तैयार की गई है जिस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । उक्त दलील पर भी मैंने विचार किया और प्रदर्श पी० 2 का अवलोकन किया । निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी० 2 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप है ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की यह दलील भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

(9) परिणामस्वरुप अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 (b) , 27 (c) और 27 (d) के अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है

चन्द्रप्रकाश सिंह
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

बिन्दु संख्या - 2 सजा का बिन्दु

(10) सजा के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना गया । विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण इस प्रकरण में वर्ष 1990 से ही लगातार न्यायिक अन्वीक्षा भुगत रहे हैं अतः उनको न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे जबकि विद्वुषी सहायक लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण को समुचित दण्ड दिये जाने का निवेदन किया । उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य है और अभियुक्तगण को न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

चन्द्र प्रकाश सिंह
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

फोटो स्टेट कॉपी
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा (राज.)

- आदेश -

(11) अतः अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 (b) , 27 (c) और 27 (d) के अपराध में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है तथा उक्त प्रत्येक अभियुक्तगण को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 (b) के अपराध में 1 - 1 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 - 5000 रुपये के जुर्माने , अदम अदायगी जुर्माना 3 – 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास , धारा 27 (c) के अपराध में 3 – 3 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 – 5000 रुपये के जुर्माने , अदम अदायगी जुर्माना 3 – 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और धारा 27 (d) के अपराध में 1 – 1 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 – 5000 रुपये के जुर्माने , अदम अदायगी जुर्माना 3 – 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास , से दण्डित किया जाता है । उक्त सभी सजायें साथ – साथ चलेंगी । अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन द्वारा यदि इस प्रकरण में पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि व्यतित की गई हो तो आज उसको उनको दी गई मूल सजा में समायोजित की जावेगी । तद्नुसार अभियुक्तगण गुलाम नबी , सलेश , अनिल , सुशील और बालकिशन का सजा वारन्ट बनाया जावे । निर्णय की एक प्रति उक्त अभियुक्तगण को निःशुल्क दी जावे । प्रकरण में अभियुक्तगण मिश्रीलाल , कमला ; कंचन , ललितराज , जयन्तीलाल , शेषमल , हेमन्त कुमार , वाई०एन०राव और वाई०जी०पाटिल मफरुर हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना शेष है अतः पत्रावली के सरबरक पर नियमानुसार लाल स्याही से पत्रावली को सुरक्षित रखने का नोट अंकित किया जावे ।

चन्द्र प्रकाश सिंह
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

(12) निर्णय आज दिनांक 03 – 01 – 2014 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

चन्द्र प्रकाश सिंह
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
भीलवाड़ा (राज.)

फोटो स्टेट कॉपी
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाडा (राज.)